पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी – ट्राई की अनुशंसाएं

भारतीय दूर–संचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में (25 सितंबर, 2013) देशभर में 'पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (अखिल भारतीय नंबर पोर्टेबिलिटी) की सुविधा लागू करने की सिफारिश की है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) एक ऐसी सुविधा है, जिसमें ग्राहक अपना मोबाइल टेलीफोन नंबर बरकरार रखते हुए एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएं ले सकता है।
ट्राई की अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

क) पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (अंतर–सेवा क्षेत्र पोर्टेबिलिटी) सुविधा लागू हो जाने के बाद रिसिपिएंट ऑपरेटर अर्थात् नया सेवा प्रदाता स्थानांतरण संबंधी अनुरोध उस क्षेत्र के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर (एमएनपीएसपी) को अग्रसारित कर सकेगा, जिससे मूल नंबर रेंजधारक सम्बद्ध हो (अर्थात् वह दूर संचार सेवा प्रदाता जिसके साथ प्रथम स्थानांतरण से पहले नंबर मूल रूप से सम्बद्ध रहा हो)।

ख) दूर संचार सेवा प्रदाताओं को पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा।

ग) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा लाइसेंस के बारे में संशोधन के कुछ सुझाव दिए गए हैं ताकि अंतर–सेवा क्षेत्र पोर्टिंग सुविधा (पूर्ण एमएनपी) को अंजाम दिया जा सके।

घ) पूर्ण एमएनपी में विभिन्न परिस्थितियों के लिए दूर संचार सेवा प्रदाताओं (टीएपीज़) और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं (एमएनपीएसपीज़) के लिए परीक्षण हेतु शुल्क घटा कर निर्धारित वर्तमान शुल्क का 25 प्रतिशत किया जा सकता है।

''एक राष्ट्र–पूर्ण मोबाइल नंबर राष्ट्रीय दूर संचार पोर्टेबिलिटी'' के बारे में राष्ट्रीय दूर संचार नीति–2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार ट्राई को दूर संचार विभाग से इस बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ था कि वह अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी को लाइसेंसी सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के बीच स्थानांतरण की सिफारिश करे। इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए ट्राई ने पूर्ण एमएनपी के कार्यान्वयन से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों के बारे में विभिन्न सम्बद्ध पक्षों से जानकारी/सुझाव आमंत्रित किए थे। इन मुद्दों में इंटर–सर्विस एरिया पोर्टिंग लागू करने के लिए उपयुक्त पद्धति, पोर्टिंग अनुरोधों को प्रोसेस करने संबंधी मुद्दे, कॉल्स की रूटिंग और चार्जिंग, एमएनपी सेवा लाइसेंस की मौजूदा लाइसेंस शर्तों में अपेक्षित संशोधन, किसी रोमिंग सब्स्क्राइबर द्वारा यूनीक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) का सृजन, वर्तमान कानून में अपेक्षित संशोधन आदि शामिल थे।

सम्बद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों में यह देखा गया है कि पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा के कार्यान्वयन के लिए तकनीक समाधान के बारे में अलग–अलग राय व्यक्त की गई थी। इस मुद्दे के समाधान के लिए सम्बद्ध पक्षों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया और यह तय किया गया कि एक 'फोकस ग्रुप' का गठन किया जाए, जिसमें एनएनपी सेवा प्रदाताओं और दूर संचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हों ताकि इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया जा सके। विचार–विमर्श के बाद फोकस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट ट्राई को सौंप दी।

भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी नंबर बरकरार रखते हुए सेवा प्रदाता बदलने की सुविधा का शुभारंभ हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 25 नवंबर 2010 को प्रायोगिक आधार पर किया गया था। इसके बाद 20 जनवरी, 2011 से यह सुविधा देश के सभी भागों में लागू कर दी गई। वर्तमान में एमएनपी सुविधा केवल एक लाइसेंसी सेवा क्षेत्र के भीतर सीमित है। एमएनपी के प्रयोजन के लिए देश को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन –1 के अंतर्गत गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्वी), उत्तर प्रदेश (पश्चिमी), दिल्ली और मुम्बई लाइसेंस सेवा क्षेत्र शामिल हैं जबकि जोन–2 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, ओड़िशा, चेन्नई सहित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कोलकाता लाइसेंस सेवा क्षेत्र शामिल हैं। सरकार द्वारा दो एमएनपी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपीज़) लाइसेंस यानी प्रत्येक क्षेत्र में एक लाइसेंस दिया गया है ताकि एमएनपी क्लियरिंग हाउस (एमसीएच) और नंबर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस का प्रबंधन किया जा सके।